न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 208 / 2022

1 मुलचन्द पुत्र श्री श्योचन्द जाति ब्राह्मण निवासी दाबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अनिल कुमार पुत्र श्री सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
2 सुनिल कुमार पुत्र श्री सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
3 सुमन पुत्री सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
4 शकुन्तला देवी पत्नी श्री सांवरमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
5 रामकिशन पुत्र श्री निहालाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
6 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री निहालाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
7 मुकेश पुत्र श्री निहालाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
8 कलावती पुत्री निहालाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
9 बिमला देवी पुत्री स्व. निहालाराम पत्नी इन्द्रजीत जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)

10 संतोष देवी पुत्री स्व. निहाला राम पत्नी इन्द्रजीत जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
11 गुडडी देवी पुत्री स्व. निहाला राम पत्नी इन्द्रजीत जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
12 छोटी देवी पुत्री स्व. निहाला राम पत्नी इन्द्रजीत जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.।
13 लक्ष्मीकांत पुत्र ईश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
14 किताब देवी पत्नी स्व. रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
15 रोहिताश पुत्र रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम द्वोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
16 धर्मपाल पुत्र रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
17 रामसिंह पुत्र रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
18 महावीर पुत्र रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
19 संतोष देवी पुत्री रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
20 बजरंग पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
21 दिनेश पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
22 बिमला पुत्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
23 रामबिलास पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

24 बनवारी लाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

25 माधोप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

26 रामकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

27 ममता पत्नी संतकुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

28 श्यालु पुत्री संतकुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

29 विकास पुत्र संतकुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

30 श्वाती पुत्री संतकुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

31 पवन कुमार पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

32 बिमला देवी पत्नी विश्वनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

33 भारती पुत्री विश्वनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

34 नवरतन पुत्र विश्वनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

35 दामोदर पुत्र भगवाना राम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

36 श्यामलाल पुत्र भगवानाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

37 कृष्णा देवी पत्नी नागरमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। नाम हजफ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

38 अतुल कुमार पुत्र नागरमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
39 संतरा देवी पत्नी रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
40 छाज्जुराम पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
41 निलम पुत्री रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
42 उर्मिला पुत्री रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
43 आशा पुत्री रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
44 शर्मिला पुत्री रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
45 काशीराम पुत्र मालीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
46 विनोद कुमार पुत्र मालीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
47 कैलाश पुत्र कुनण राम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
48 मुरारीलाल पुत्र कुनणराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
49 ओमप्रकाश पुत्र श्योचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
50 राजेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दोबड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

51 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर सूरजगढ़ तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अ. धारा 223 आर.टी एक्ट 1955
अपील बखिलाफ बअदालत न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू मु.नं. 34/2015
उनवानी निहालाराम वगै. बनाम ओमप्रकाश वगै.
निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2022

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2015 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने घोषणार्थ विभाजन दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 एक ही परिवार के सदस्य है जिसका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सजरा वाद पत्र में दर्ज है। ग्राम दोबड़ा में वादी एवं प्रतिवादीगण की पारिवारिक कृषि भुमि गत खसरा नम्बर 104 रकबा 26 बीघा 3 बिश्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 11 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 14 बीघा 2 बिश्वा को वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी की भुमि है जिसे सब मिलकर काश्त करते है। खसरा नम्बर 114, 104, 91 कुल रकबा 51 बीघा 9 बिश्वा का 1/2 हिस्सा जयसुख के वारिसान व 1/2 हिस्सा मोहन के वारिसान का उक्त भुमि में वादी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जिसका विभाजन नहीं हुआ और संयुक्त खातेदारी में काश्त करते आ रहे है वादी बसिलसिले रोजगार ग्राम भाड़ी हनुमानगढ़ में रहता है और समय समय पर अपनी जमीन को सार सम्भाल व काश्त करने के लिये आता रहता है लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता श्योचन्द ने पटवारी एवं सरपंच से साज कर फर्जी दस्तावेज बनाकर वादी का 1/6 हिस्सा अपने नाम दिनांक 01.09.1970 को करवा लिया जो नल एण्ड वोईड है। भुमि गत खसरा नम्बर 104, 114 व 91 से नये खसरा नम्बर 196, 198, 212, 213, 214, 62, 63, 64 हाल सैटलमेंट के दौरान कायम हुये। जिसमें वादी का हिस्सा रेवेन्यू रिकार्ड में खत्म कर दिया गया। दिनांक 10.11.1997 को नाम जुड़वाने से साफ इन्कान करते हुये कब्जा काश्त में दखल देने की धमकी दी। अतः भुमि गत खसरा नम्बर 104, 114, 91 की कुल भुमि का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित कर बटवारा कर अलग खसरा कायम करने व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया गया। वाद दिनांक 21.05.2005 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं से प्राप्त होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 06.04.2015 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ को स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन करवायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री मूलचन्द शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 12 तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अपने जवाब दावा दिनांक 13.03.2007 में बताया वादी बचपन में ही ग्रामं भाड़ी तहसील भादरा (हनुमानगढ़) के नानूराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण निवासी भाड़ी के रिजस्टर्ड गोदनामा दिनांक 13.11. 1961 के द्वारा गोद चला गया और ग्राम भाड़ी में ही रहने लग गया। वादी अपने जायन्दा पिता जयसुख की समस्त चल व अचल सम्पत्ति में अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये और ग्राम दोबड़ा में स्थित भुमि में वादी का कोई तालुक नहीं रहा। वादी ने लालच वश झुठे व मनगढ़त तथ्य दर्ज किये है और वादी ने अपने हिस्से की पूरी कृषि भुमि अपने सगे भाई श्योचन्द को नौ सौ रूपये नकद लेकर दे दी जिसकी लिखावट बही में ग्राम के मौतबीर पंचो व नम्बरदारो के सामने लिखावट अंगुठा निशानी कर दी जिस कारण वादी का भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है अन्त में प्रतिवादीगण ने वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र में कुल 9 तनकीयात कायम की गई। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा जवाब दावा में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 49 व 50 द्वारा उठाई गई आपत्ति कि 'वादी बचपन में ही ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नानुराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम भाड़ी के रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 13.11.1961 के द्वारा गोद चला गया और ग्राम भाड़ी में ही रहने लग गया। वादी अपने जाईन्दा पिता जयसुख की समस्त चल व अचल सम्पत्ति में अधिकार स्वतः समाप्त हो गये और ग्राम दोबड़ा स्थित भूमि में वादी का कोई तालुक नहीं रहा है तथा नामान्तकरण दिनांक 01.09.1970 प्रदर्श 1 में वर्णित अनुसार निहाला जमीन काश्त नहीं करता व प्रतिवादीगण का कब्जा होने से तस्दीक किया गया है। वादी का वादग्रस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

आराजियात पर 60 वर्षों से अधिक समय तक कब्जा नहीं रहा है। वादी ने कब्जा लेने की इस्तदुआ नहीं चाही है इस कारण वादी का दावा खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा बही लिखावट प्रदर्श 11 जो 30 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज है जिसे कानूनन साक्ष्य में ग्राहिय होने के बावजूद ग्राहय नहीं कर उक्त बही लिखावट पर कोई ठोस विवरण निर्णय में अंकित नही कर विधि की भूल कारित पर निर्णय जैर बहस पारित किया गया है। विचारण न्यायलाय द्वारा वादी के गोद के पिता नानुराम की मृत्यु पर विरासतन नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 22.11.1984 को वादी के नाम भुमि ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 585 व 661 भरा जाना व वादी द्वारा अपने गोद के पिता की भूमियों को खातेदार दर्ज होना अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 49 व 50 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों के बाबत बिना न्यायिक विवेचना किये आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की तथ्य व विधि की भूल कारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 13 लगायत 50 के पूर्वजों को दावे में विवादित भूमि दौराने सेटलमेंट दफा 19 आरटीएक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के तथ्यों को नजर अंदाज कर आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित कर विधि व तथ्य की भूल पारित की गई है। वादी द्वारा वाद पत्र घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत हुआ था। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन का अनुतोष होने के बावजूद प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित नहीं कर वादी को अनुचित रूप से फायदा देने के लिए आलौच्य अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के हक में व तनकी संख्या 4 लगायत 9 अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 49 व 50 के विरूद्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अंदाज कर गलत रूप से निर्णित कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दावे में वादी द्वारा कब्जे का अनुतोष नहीं चाहे जाने के बावजूद कब्जे के अभाव में खातेदारी की घोषणा कर विधि व तथ्य की भूल कारित की गई है। कानूनन कब्जे के अभाव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार तथ्यों का विवेचन किये बिना वादी के पक्ष में तय की गई तनकीयों का हवाला देकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 49 व 50 के विरूद्ध तनकी संख्या 4 लगायत 9 निर्णित कर विधि की भूल कर कारित की गई है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 49 व 50 द्वारा विवादित आराजी पर वादी का 60 वर्षों से कब्जा नहीं होना मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतः प्रमाणित किया गया है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा कब्जे के अभाव में घोषणा कर विधि की घोर गलती की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021 (2) एससी पेज 1201, आरआरटी 2023(1) पेज 16, आरआरटी 2022(1) पेज 2, आरआरटी 2021(1) एससी पेज 1, आरआरटी 2023(2) एचसी पेज 880, डीएनजे 2012(2) राज एचसी पेज 585, डीएनजे 2012(2) राज. एचसी पेज 587, एआईआर 2012 राज. पेज 42, एआईआर 2010 एससी पेज 1654, सीएसएआर मई 2023 एससी के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादी क पिता जयसुख का देहान्त होने के बाद विवादित भूमि का विरासत में नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 14.07.1956 में श्योचन्द, ईशर, निहाला पिता जयसुख के पक्ष में बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई और भूमि का हिस्सा 1/6 वादी निहाला को उत्तराधिकार में प्राप्त होने पर भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो गया और तक से लेकर आज तक विवादित भूमि विवादित भुमि पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रदर्श–6, 7, 8, 9 से उक्त तथ्य भलिभांति साबित होते है तथा प्रदर्श–4 में उक्त जयसुख व मोहन की खातेदारी की भुमि रही है। दिनांक 01.09.1970 को ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता श्योचन्द के हक में भरा गया नामान्तकरण वादी को बिना सुनवाई का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अवसर दिये वादी की खातेदारी बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता श्योचन्द अकेले के नाम दर्ज कर दी जो विधि विरूद्ध होने से शुन्य व निष्प्रभावी है। ग्राम पंचायत को किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है ग्राम पंचायत को सन् 1970 में धारा 19 आरटीएक्ट के तहत खातेदारी अधिकारी समाप्त करने या देने का क्षेत्राधिकार नहीं था। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों को साबित किया है। प्रतिवादीगण की ओर से पेश खोलानाम दिनांक 13.11.1961 को है क्योंकि विवादित भूमि वादी को अपने पिता से विरासत मे सन 1956 में विधिक प्रकिया फौती नामान्तकरण द्वारा प्राप्त हो चुकी थी उसके बाद वादी का किसी अन्यत्र गोद जाना वादी के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं करता है। वादी की ओर से पेश नजीर आरआरडी 1998 पेज नम्बर 400, आरआरडी 2001 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पेज नम्बर 192 से यह साबित होता है कि वादी अपने पिता से उत्तराधिकार में हिन्दू उत्तराधिकार एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 12 बी में ही विवादित भूमि का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वकील प्रतिवादी द्वारा यह कथन कि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता ने वादी के हिस्से को नौ सौ रूपये में बही में लिखावट करवाकर क्रय किया था साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और न ही अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। आरआरटी 2017(1) आर.जे.एच.सी पेज नम्बर 275 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प दस्तावेज किसी भी प्रयोजन हेतु साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रतिवादीगण के कथनों के अनुसार वादी ग्राम भाड़ी में गत साठ वर्षों से रहा है और वही उसके मकानात, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज बने हुये है वादी की ग्राम दोबड़ा में कोई कृषि भूमि नहीं है। वादी अधिवक्ता के कथनानुसार किसी खातेदार का उसके गांव से बाहर किसी स्थान पर जीविका उपार्जन हेतु जाने से उसके खातेदारी अधिकारों का परिशमन नहीं हो सकता। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब वादपत्र में कही पर भी यह दर्ज नहीं किया कि वादी किस तारीख, साल में गोद गया था। वादी ने सन् 1956 में ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

विरासत में विवादित भूमि का हिस्सा 1/6 प्राप्त कर लिया था। प्रतिवादीगण ने जो खोलानामा प्रदर्श–4 पेश किया है वह सन् 1961 का है वादी का उसके बाद किसी अन्यत्र गोद जाना उसके खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं करता है। प्रतिवादीगण ने प्रदर्श डी–11 बही लिखावट पेश की है। जो एक अनस्टाम्ड व अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अर्जन नहीं किया जा सकता है। वादी विवादित भूमि को सन् 1956 में एक विरासत में प्राप्त कर चुका है तथा उसके बाद गोद गया है जिसका विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर 1 में किया जा चुका है जो सम्पति गोद जाने से पूर्व दत्तक में निहित हो गई लगातार उसी में निहित रहेगी। यहां वादी विरासत में भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के बाद गोद गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में विधिक त्रुटि नहीं की। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने वाद प्रस्तुत कर गत खसरा नम्बर 104, 114 व 91 में 1/6 हिस्से की उद्घोषणा चाही है। विचारण न्यायालय में यह वाद वादी द्वारा दिनांक 09.12.1997 को प्रस्तुत किया गया है। वादी ने विरासत के आधार पर यह खातेदारी की उद्घोषणा चाही है। अपीलांट का कथन है कि वादी बचपन में ही ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नानुराम पुत्र धन्नाराम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम भाड़ी के रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 13.11.1961 के द्वारा गोद चला गया और ग्राम भाड़ी में ही रहने लग गया। वादी अपने जाईन्दा पिता जयसुख की समस्त चल व अचल सम्पत्ति में अधिकार स्वतः समाप्त हो गये और ग्राम दोबड़ा स्थित भूमि में वादी का कोई तालुक नहीं रहा है तथा नामान्तकरण दिनांक 01.09.1970 प्रदर्श 1 में वर्णित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अनुसार निहाला जमीन काश्त नहीं करता व प्रतिवादीगण का कब्जा होने से तस्दीक किया गया है। वादी का वादग्रस्त आराजियात पर 60 वर्षों से अधिक समय तक कब्जा नहीं रहा है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के गोद के पिता नानुराम की मृत्यु पर विरासतन नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 22.11.1984 को वादी के नाम भुमि ग्राम भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 585 व 661 भरा जाना व वादी द्वारा अपने गोद के पिता की भूमियों को खातेदार दर्ज होना अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 49 व 50 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है।

विवादित भूमि के संदर्भ में दिनांक 01.09.1970 को नामान्तकरण दर्ज किया गया है। इस नामान्तकरण में स्पष्ट रिपोर्ट है कि वादी निहालाराम का इस जमीन में कब्जा काश्त नहीं है। इसको श्योचन्द लगातार काश्त करता है तथा लगान देता आ रहा है। इस आधार पर सरपंच द्वारा यह नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। इस नामान्तकरण को वादी द्वारा दावा प्रस्तुत करने की दिनांक 09.12.1997 तक चुनौती नहीं दी गई है। विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादी ने अपने वाद में कब्जा प्राप्ती का अनुतोष भी नहीं चाहा है। पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 22.11.1984 से वादी का गोद जाना प्रमाणित है। गोद जाने से पूर्व वादी ने विरासत के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादी गोद जाने के उपरांत जायन्दा पिता की विरासत में खातेदारी की उद्घोषणा का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोन्चक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)